राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(22)आरबी/2010/625 दिनांक : 31 अगस्त, 2020

परिपत्र

राजस्थान के समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में नये कुलपति की नियुक्ति के लिये खोजबीन/चयन समिति के गठन हेतु विश्वविद्यालयों के अधिनियम में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय के सिण्डीकेट/प्रबंध मण्डल/कार्य परिषद् के द्वारा एक सदस्य एवं एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत/नामांकित किया जाना है।

संज्ञान में आया है कि कतिपय संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा एवं विश्वविद्यालयों के सिण्डीकेट/प्रबंध मण्डल/कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय से संबद्ध व्यक्ति को ही मनोनीत/नामांकित कर दिया जाता है जिससे अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना हो जाती है और अवैधानिक होने के कारण खोजबीन/चयन समिति का गठन पारदर्शी नहीं रह पाता है।

इस संबंध में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किए गए है कि विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट/प्रबंध मण्डल/कार्य परिषद् एवं राज्य सरकार द्वारा जिस सदस्य को मनोनीत/नामांकित किया जाना है, उसका विश्वविद्यालय से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं होना चाहिए।

समस्त संबंधित प्रशासनिक विभाग एवं राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय उक्त निर्देशों की भविष्य में पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुबीर कुमार)
सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

D:\GOVT. UNIV\General Forwarding\General Letter.docx

क्रमांक : एफ.1(22)आरबी / 2010 / 626 दिनांक : 31 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
12. कुलसचिवगण, समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

D:\GOVT. UNIV\General Forwarding\General Letter.docx